

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोएडा

जिला गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- सम्पत्ति/किसान-आबादी/2017/10426

दिनांक 27/10/2017

सेवा में,


श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री छतर सिंह
निवासी- ग्राम-गुलिस्तानपुर
जिला-गौतमबुद्ध नगर।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक सम्पत्ति/किसान आबादी/2011/1675 दिनांक 28.02.2011 में वर्णित आवंटन संख्या-GUL01157 द्वारा आपको ग्राम-गुलिस्तानपुर की प्रस्तावित आबादी में भूखण्ड संख्या-91,पाकेट-ए, क्षेत्रफल-600 वर्ग मीटर आबादी विस्तार हेतु आवंटित किया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के द्वारा उपरोक्त भूखण्ड संख्या-91,पाकेट-ए, क्षेत्रफल-600 वर्ग मीटर के स्थान पर ग्राम पाली की प्रस्तावित आबादी में भूखण्ड संख्या-08, क्षेत्रफल-600 वर्ग मीटर आवंटित करने का निर्णय किया गया है। अतः उपरोक्त आदेश पत्रांक संख्या सम्पत्ति/किसान आबादी/2011/1675 दिनांक 28.02.2011 को संशोधित करते हुए भूखण्ड संख्या-91,पाकेट-ए, क्षेत्रफल-600 वर्ग मीटर के स्थान पर ग्राम/सेक्टर-पाली की प्रस्तावित आबादी में भूखण्ड संख्या-08, क्षेत्रफल-600 वर्ग मीटर आबादी विस्तार हेतु आवंटित किया जाता है। इसके साथ ही आपको यह सूचित कराना है कि मूल आवंटन पत्र में मांगी गयी धनराशि के अतिरिक्त 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर के मद में रूपये 3,24,690/- जमा कराने की मांग की जाती है। उक्त धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही पट्टा प्रलेख आदि की कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

शेष नियम व शर्तें पूर्ववत ही रहेंगी।

भवदीय,


प्रबन्धक, सम्पत्ति

पे
व
ग्रेट
सेवा
S

महोदय

तावित

लैक्स

इस
निर्दि
इस
इस
है तो
वंचित
पट्टा पं
गंवटी
क अति
वंटित
नदेश
प्रलेख
नुसार
अति
त समझ
तानुसार